



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 728) पटना, बृहस्पतिवार, 4 सितम्बर 2014

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचनाएं

9 जून 2014

सं0 3/विविध-10102/13-882—भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंचलीय स्तर पर ग्रुप 'ग' प्रारूपक संवर्ग में भर्ती एवं सेवा-शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल स्तरीय प्रारूपक संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**— (1) यह नियमावली बिहार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल स्तरीय प्रारूपक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**— इस नियमावली में जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हों:—

(i) 'संवर्ग' से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल के अधीन प्रारूपक संवर्ग;

(ii) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;

(iii) 'नियुक्ति प्राधिकार' से अभिप्रेत है संबंधित अधीक्षण अभियंता;

(iv) 'नियत तिथि' से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि; तथा

(v) 'सदस्य' से अभिप्रेत है प्रारूपक संवर्ग में नियुक्त कोई व्यक्ति तथा इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस संवर्ग में पहले से नियुक्त सभी व्यक्ति इसमें शामिल है।

3. **प्रारूपक संवर्ग की संरचना।**— प्रारूपक संवर्ग की संवर्ग संरचना निम्नलिखित के अनुसार होगी:—

क्र०	कोटि का नाम	स्तर
(क)	प्रारूपक ग्रेड-II	मूल कोटि
(ख)	प्रारूपक ग्रेड-I	प्रथम प्रोन्नति स्तर

टिप्पणी :- प्रारूपक ग्रेड-I एवं प्रारूपक ग्रेड-II को सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत वेतनमान देय होगा।

4. **संवर्ग बल।**— संवर्ग बल ऐसा होगा जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

5. **भर्ती।**— (1) प्रारूपक ग्रेड-II के सभी पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

(2) सभी भर्तियाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग की अनुशंसा पर प्रारूपक ग्रेड-II की कोटि में की जायेंगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रिल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रिल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।

(4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधासूची के अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची, अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से, एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।

(5) सम्यक छानबीन के बाद नियुक्ति प्राधिकार अभ्यर्थी की नियुक्ति परीक्षा पर करेगा।

6. **अहर्ताएँ।**— (1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं (मैट्रिक) उत्तीर्ण के साथ-साथ मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से प्रारूपक (ड्राफ्ट्स मैन) की परीक्षा उत्तीर्णता होगी।

(2) भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी और अधिकतम उम्र वही होगी जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर, अवधारित की जाए।

7. **आरक्षण।**— भर्ती एवं प्रोन्नति में, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित आरक्षण/रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा।

8. **प्रोन्नति द्वारा भर्ती।**— प्रारूपक ग्रेड-II से प्रारूपक ग्रेड-I में प्रोन्नति अंचल स्तर पर वरीयतानुसार, विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर, दी जायेगी।

9. **परिवीक्षा।**— परिवीक्षा अवधि दो वर्षों की होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर नियुक्ति प्राधिकार द्वारा परिवीक्षा अवधि अधिकतम एक वर्ष के लिए विस्तारित की जा सकेगी। ऐसा अवधि-विस्तार तभी होगा जब नियुक्ति प्राधिकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति में सुधार की गुंजाइश हो। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो संबंधित व्यक्ति को सेवामुक्त कर दिया जायेगा।

10. **सम्पुष्टि।**— परिवीक्षाधीन व्यक्ति, परिवीक्षा-अवधि की संतोषजनक समाप्ति के बाद, सम्पुष्ट किया जायेगा।

11. **वरीयता।**— संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अवधारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी।

परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी।

12. **प्रोन्नति।**— मूल कोटि से उच्चतर कोटि में प्रोन्नति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कालवधि के पूरा होने पर और विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

13. **संवर्ग का स्तर।**— यह संवर्ग अंचल स्तरीय होगा किन्तु अचानक जरूरत होने पर या किसी अंचल में प्रारूपक के आभाव जैसी अत्यावश्यकता होने पर अंचल संवर्ग के किसी कर्मचारी को, सेवा में उसके प्रवेश के आधार पर, उसकी वरीयता को अक्षुण्ण रखते हुए, अपने नियंत्रणाधीन एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानान्तरित करने की शक्ति क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को होगी। अभियंता प्रमुख-सह-विषेय सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग विशेष परिस्थिति में राज्य स्तरीय स्थानान्तरण आदेश कर सकेंगे।

14. **कठिनाई का निराकरण।**— यदि सरकार का यह समाधान हो जाए कि इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा-शर्त से संबंधित किसी नियम को किसी विशेष मामले में लागू करने में कठिनाई हो तो इस नियमावली में अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा ऐसी कठिनाई का निराकरण कर सकेगी।

15. **अवशिष्ट मामले।**— ऐसे मामले के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।

16. **निर्वचन।**— इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में जहाँ कोई शंका उत्पन्न हो वहाँ मामला लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

17. **निरसन एवं व्यावृत्ति।**— (1) इस संवर्ग के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी संकल्प एवं अनुदेश एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे संकल्प, अनुदेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस दिन ऐसा कार्य या कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंशुली आर्या,
सरकार के प्रधान सचिव।

9 जून 2014

सं0 3/विविध-10102/13-882 का निम्नलिखित अंगरेजी अनुवाद, बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है, जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अंशुली आर्या,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 9th June 2014

No. 3/विविध-10102/13-882—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following

Rules to regulate recruitment and service- conditions in the Group 'C' Draftsman cadre at circle level of the Public Health Engineering Department in the State :-

**BIHAR PUBLIC HEALTH ENGINEERING CIRCLE LEVEL DRAFTSMAN
CADRE (RECRUITMENT & SERVICE CONDITIONS) RULES, 2014**

1. Short title, extent & commencement.— (1) These Rules may be called as the Bihar Public Health Engineering Circle Level Draftsman Cadre (Recruitment & Service Conditions) Rules, 2014

(2) It will extend to the whole State of Bihar.

(3) It will come into force with immediate effect.

2. Definitions.- In these Rules, unless otherwise required in the context :-

(i) '**Cadre**' means Draftsman cadre under Public Health Engineering Circle;

(ii) '**Commission**' means Bihar Staff Selection Commission;

(iii) '**Appointing Authority**' means concerned Superintending Engineer;

(iv) '**Appointed Date**' means the date of coming into force of these Rules; and

(v) '**Member**' means a person appointed in the Draftsman cadre ; and it includes all persons already appointed in the cadre before coming into force of these Rules.

3. Structure of Draftsman Cadre.-The structure of the Draftsman cadre shall be according to following:-

Sl. No.	Name of Category	Level
(a)	Draftsman Grade-II	Basic category
(b)	Draftsman Grade-I	First Promotion level

Note:—The pay-scale sanctioned by the Government, from time to time, shall be admissible to Draftsman Grade-I and Draftsman Grade-II.

4. Cadre Strength.- The cadre strength shall be such as may be determined by the Public Health Engineering Department, from time to time.

5. Recruitment.- (1) All posts of Draftsman Grade – II shall be filled by direct recruitment.

(2) All recruitments shall be made in the grade of Draftsman Grade-II on the recommendation of Bihar Staff Selection Commission.

(3) The Appointing Authority shall calculate vacancies on the basis of position as on 1st April each year and shall send requisition to the Commission by 30th April.

(4) The Commission shall advertise vacancies, and after selecting successful candidates on the basis of Competitive Examination, shall recommend the names of candidates of merit list to the concerned Appointing Authorities. The merit list shall remain valid for one year from the date of receipt of recommendation

(5) After due scrutiny, the Appointing Authority shall appoint the candidate on probation.

6. Qualifications.- (1) The minimum educational qualification shall be 10th (Matric) pass together with passing of Draftsman Examination from recognized Industrial Training Institute (I.T.I).

(2) For recruitment, the minimum age limit shall be 18 years and maximum age limit shall be the same as determined by the State Government (General Administration Department), from time to time.

7. Reservation.- It shall be necessary to comply reservation/roster in recruitment as well as promotion, notified by the State Government, from time to time.

8. Recruitment by Promotion.- Promotion from Draftsman Grade-II to Draftsman Grade-I shall be given according to seniority at circle level on the recommendation of the Departmental Promotion Committee.

9. Probation.-The probation period shall be of two years. If the service is not found satisfactory during the probation period, the probation period may be extended for a maximum period of one year by the Appointing Authority. Such period extension will be made only when in the opinion of the Appointing Authority, there is chance of improvement in the probationer. If the service is not found satisfactory in the extended period also, then the service of concerned person shall be terminated.

10. Confirmation.- The probationer shall be confirmed after satisfactory completion of probation period.

11. Seniority .- The inter-se seniority of members of the cadre shall be according to their merit position determined by the Commission:

Provided that the inter-se seniority determined before coming into force of these Rules shall remain unchangeable.

12. Promotion.- The promotion from basic grade to higher grade shall be given on completion of 'KALAWADHI' determined by the General Administration Department, from time to time, and on recommendation of the Departmental Promotion Committee.

13. Level of the cadre.- This cadre shall be at circle level but in case of sudden necessity or exigencies like shortage of Draftsman in a circle, the concerned Zonal Chief Engineer, Public Health Engineering Department shall have power to transfer an employee of circle cadre from one circle to another circle under his jurisdiction, maintaining his seniority on the basis of his entry into the service. The Engineer-in-Chief-cum-Special Secretary, Public Health Engineering Department, in special circumstances, may order state level transfer.

14. Removal of difficulties.- If the Government is satisfied that there is difficulty in enforcing a rule in a special case concerning service conditions of employees appointed in this cadre, it may remove such difficulty, without prejudice to the provisions contained in these Rules, by notification published in the official gazette.

15. Residue Matters.- With respect to such matters which are not specially covered by these Rules, the members of the cadre shall be governed by the Regulations or Orders applicable to the officers/employees of appropriate level of the Government.

16. Interpretation.- Where any doubt arises with respect to interpretation of any provision of these Rules, the matter shall be determined by the Public Health Engineering Department/General Administration Department and its decision shall be final.

17. Repeal & Savings.- (i) All Resolutions and Instructions issued earlier with respect to this cadre are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal, any work done or any action taken under such Resolutions and Instructions shall be deemed to be done or taken under these Rules, as if these Rules were in force on the date such work was done or action was taken.

By order of the Governor of Bihar,

ANSHULI ARYA,

Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 728-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>